90 न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एस0एस0 अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 97-एक/2008 विरूद्ध आदेश दिनांक 22-1-2008 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा, संभाग रीवा प्रकरण क्रमांक-580/निग0/2006-07.

.....

रामसखी पुत्री बेजनाथ मल्लाह
निवासी ग्राम देऊरा हाल निवास सिंधौली तहस रामपुर
बाघेलान जिला सतना म0प्र0
जरिये मुखत्यार आम आलोक सिंह आ0 श्री दलजीत सिंह
निवासी ग्राम धनखेर तहसील रघुराजनगर जिला सतना म.प्र.

-----आवेदक

विरूद्ध

1. कलुवां मल्लाह आ0 श्री सधुवां मल्लाह
   निवासी मौजा देऊरा तहसील रघुराजनगर जिला सतना
2. संम्भू प्रसाद मल्लाह आ0 बैजनाथ मल्लाह
   निवासी ग्राम देऊरा तहसील रघु0 जिला सतना
3. म0प्र0 शासन द्वारा पटवारी हल्का बचबई

-----अनावेदकगण

.....

श्री एस0के0 अवस्थी, अभिभाषक, आवेदक
श्री आर0 एस0 सेंगर, अभिभाषक, अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 9-3-2018 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर

आयुक्त रीवा संभाग रीवा के आदेश दिनांक 22-1-2008 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी हल्का बचबई द्वारा ग्राम हरदुआ की आ0नं0 152/3ग, 153/3ग, 49/4ख, 50/4ख के नक्शा तरीमीम की स्वीकृति बावत प्रतिवेदन तहसीलदार नागौद जिला सतना के सक्ष प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार ने आदेश दिनांक 17-10-06 से नक्शा तरमीम प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। तहसीलदार के उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अपर कलेक्टर सतना के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। अपर कलेक्टर ने आदेश दिनांक 8-6-07 के द्वारा आवेदिका की निगरानी निरस्त की। अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष निगरानी प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 22-1-08 के द्वारा आवेदिका की निगरानी निरस्त की। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया एवं अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी द्वारा अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट लेख किया है कि प्रश्नाधीन आराजियात के अन्य कई सहखातोरों के मध्य पूर्व में ही बटवारे के मुताबिक नक्शा तरमीम हो चुका है केवल आवेदिका के हिस्से एवं कब्जे के आधार पर नक्शा तरमीम किया गया है। इसी के आधार पर तहसीलदार द्वारा उचित आदेश पारित कर नक्शा तरमीम का आदेश पारित किया है। अपर कलेक्टर ने भी अपने आदेश में स्पष्ट निष्कर्ष निकाला है कि खसरे में हो चुके बटाकों के पश्चात नक्शे को भी उद्यतन एवं दुरूस्त रखने हेतु नक्शे मे मौके के स्थित के

मुताबिक किये गये तरमीम संबंधी कार्यवाही की गई है। तहसीलदार एवं अपर कलेक्टर के आदेश को अपर आयुक्त द्वारा भी हस्तक्षेप योग्य नहीं पाते हुये आवेदिका की निगरानी को निरस्त किया है। अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश में कोई अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती है। इसके अतिरिक्त तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समतवर्ती निष्कर्ष हैं जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में प्रकट नहीं होता है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है। अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 22-1-2008 स्थिर रखा जाता है।

(एस0एस0 अली)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश,
ग्वालियर,